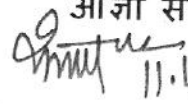


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 873 /2019 दिनांक : 11.04.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/785/2019 दिनांक 30.03.2019 के द्वारा श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम- 01, कोटा को दिनांक 11.04.2019 से 12.04.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.04.2019 से 14.04.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

11.4.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/01/2016/ 3557

दिनांक : 11.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम- 01, कोटा को उनके पत्रांक 27 दिनांक 03.04.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम- 01, कोटा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम- 02, कोटा।


11.4.2019

सहायक रजिस्ट्रार